बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–:: अधिसूचना ::–

सं०–11/आ०नी०–I–03/2023 (खण्ड)................सा.प्र., पटना, दिनांक–..................

प्रस्तावना :– राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने के निमित्त प्रवृत्त अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 (अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023) के नियम–6(x) में निर्धारित समय–सीमा को विस्तारित करने के संबंध में।

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 के माध्यम से राज्य के प्रशासनिक हित में राज्याधीन सेवाओं के प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 प्रवृत्त की गयी है। इस नियमावली की कंडिका–6(x) में यह प्रावधान किया गया है कि– **संदर्भित नियमावली की कंडिका–6(viii) के अनुसार संवर्गीय प्रोन्नति के पदानुक्रम में उच्चतर पद का प्रभार देने की इस प्रक्रिया को Level Jumping नहीं माना जाएगा। यह व्यवस्था एकबारगी उपाय (One time measure) के रूप में केवल कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिए लागू की जाएगी।**

2. उपर्युक्त नियमावली दिनांक–13.10.2023 को प्रवृत्त की गयी है तथा इसके प्रावधानानुसार नियमावली की कंडिका–6(x) के अनुसार नियमावली की कंडिका–6(viii) की सुविधा दिनांक–12.12.2023 को समाप्त हो चुकी है, किन्तु सम्प्रति कतिपय विभागों एवं सेवा/संवर्गों में उच्चतर पद का प्रभार देने की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है।

3. अतएव उपर्युक्त के आलोक में कार्य हित में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 (अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023) में कार्यहित में इस नियमावली की कंडिका–6(viii) के प्रावधान को अगले 02 माह के लिए विस्तारित किया जाता है। इस प्रकार संदर्भित नियमावली की कंडिका–6(x) में निर्धारित समय–सीमा को दिनांक–12.02.2024 तक विस्तारित किया जाता है।

4. उपर्युक्त नियमावली में अवधि विस्तारण के पश्चात संदर्भित नियमावली इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे एवं इसके अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(डॉ० बी० राजेन्दर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/आ०नी०–I–03/2023 खण्ड सा.प्र...............पटना–15, दिनांक–..................

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11/आ०नी०–I–03/2023 खण्ड सा.प्र...............पटना–15, दिनांक–..................

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना, उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार बिधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/बिभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11/आ०नी०–I–03/2023 खण्ड सा.प्र. 636 पटना–15, दिनांक– 10/01/2024

प्रतिलिपि–आई०टी० मनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

09/01/24

सरकार के संयुक्त सचिव।